

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री आकाश तोमर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री असित श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण मे जनपद संतकबीरनगर मे दिनांक 20.04.2019 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियो पर नियन्त्रण हेतु चलाये गये चेकिंग अभियान मे निम्नलिखित कार्यवाहिया की गयी ।

नाबालिग से मारपीट, छेड़छाड़ व जानमाल की धमकी देने का अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोबाइल बरामद

थाना बखिरा पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त नाम पता शाहिद उर्फ सिकंदर बादशाह पुत्र शब्बीर निवासी सिटिकर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को थाना बखिरा मे पंजीकृत मु0अ0सं0 159 / 19 धारा 323 / 354 / 506 / 379 / 411 भादवि व 7 / 8 पाक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया ।

उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 18.04.2019 को वादी की नाबालिग लड़की उम्र करीब 15 वर्ष के साथ मारपीट, छेड़खानी, शरीर पर दांत से काटना व उसकी मोबाइल फोन (लावा सफेद रंग की) को चोरी कर लिया गया था जिसके संबंध मे वादी द्वारा थाना बखिरा पर दिनांक 18.04.2019 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था । जिसमे आज दिनांक 20.04.2019 को थाना बखिरा पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त के कब्जे से मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।



आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त सुभाष पुत्र जोखन निवासी काशीराम आवास थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 276 / 19 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री शशिकांत तिवारी चौकी प्रभारी औद्योगिक, हे0का0 रामअशीष।

वारण्टी

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 02 वारण्टी नाम पता अनिल पुत्र राजेन्द्र 2- मनीष पुत्र राजेन्द्र निवासीगण ट्यूवेल कालोनी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।



पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1486 द्वारा मारपीट में घायल महिला को पहुंचाया गया अस्पताल –पीआरवी 1486 को थाना दुधारा क्षेत्र के अन्तर्गत कस्बा दुधारा में इवेन्ट संख्या 10594 से कालर ने किसी व्यक्ति द्वारा महिला के साथ मारपीट कर महिला को घायल करने के संबंध में सूचना दिया। इस सूचना पर पीआरवी कर्मियों तत्काल 09 मिनट में मौके पर पहुंचकर मारपीट में घायल महिला को पीआरवी वाहन से इलाज हेतु प्रा0स्वा0 केन्द्र सेमरियावां में भर्ती कराया गया तथा प्रतिवादी को विधिक कार्यवाही हेतु थाना दुधारा के सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर घायल हुई महिला को अस्पताल में भर्ती कराकर उसकी जान बचाई गयी, तथा किसी प्रकार के अप्रिय घटना घटित होने से बचा लिया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- मुख्य आरक्षी पारस राय, आरक्षी दिलीप मालवीय, हो0चा0 रविशंकर मिश्र।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 02 वाहन सीज, 04 वाहन चालान, 58 वाहनो से 16700 रु0 सम्मन शुल्क वसूल- आज दिनांक 20-04-2019 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग का सघन अभियान चलाया गया जिसके अन्तर्गत समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 02 वाहन सीज, 04 वाहन चालान, 58 वाहनो से 16700 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

शान्ति भंग मे (151/107/116 सीआरपीसी) 07 अभियुक्त गिरफ्तार -

1-कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया ।

2-दुधारा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया ।

3-महुली पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया ।

4-बखिरा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया ।

एण्टी रोमियो अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही

आज दिनांक 20-04-2019 को जनपदीय पुलिस व एण्टी रोमियो टीम द्वारा मनचले / रोमियो चेकिंग के दौरान 19 स्थानों पर चेक करते हुए कुल 48 व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमे से मनचले व शोहदे किस्म के 03 लड़कों से पूछताछ करने के पश्चात उनके परिजनों के संज्ञान मे लाते हुए माफीनामा प्रस्तुत करने के उपरान्त कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा हिदायत दी गयी कि बिना किसी कारण के बाजारों व चौराहों के आसपास दोबारा घूमते हुए पाये जाने पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।